

# **Pankaj Badal**

(8) भारत में राज्यों के गठन और पुनर्गठन की प्रक्रिया सी नहीं है।  
 विशेष रूप से इसमें सामाजिक संबंधों, प्राप्ति और विद्यापी कर्मों  
 को विचारित करने हों। भारत की दृष्टि से ही तुलना 11.11 है  
 साथ ही, जिसमें संघवाद को आधार देने में आधार और ज्ञान  
 काद्यों की प्रक्रिया पर ध्यान देकर दिया गया है।  
 कर्तव्य है कि क्या भारत में इन धारों पर जोर देने में राष्ट्रीय  
 दृष्टि मजबूत हुई है या दीर्घकाल से लड़ाई चली है। (12+10+16)

उत्तर

भारत राज्यों का एक संघ है, साथ ही अमेरिकी संघ  
 की तुलना में भारतीय संघ अधिक लचीला है।

भारतीय संविधान के भाग-1  
 (अनुच्छेद 1 से 4) में वर्णित है कि भारत राज्य क्षेत्र में बिना किसी प्रकार  
 राज्यों का गठन एवं पुनर्गठन होगा तथा यह भारत संघ  
 से बिना किसी प्रकार का संबंध होगा। राज्यों के गठन  
 और पुनर्गठन से संबंधित निम्नलिखित प्राप्य संविधान  
 में वर्णित हैं -

(i) अनुच्छेद-2, भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश  
 या स्थापना से संबंधित है।

(ii) नए राज्यों के प्रवेश से ताल्पर है जो राज्य  
 पूर्ण से स्थापित है वे भारतीय संघ में शामिल  
 करना। यथा सिक्किम और गोवा को शामिल करना।

(iii) नए राज्यों की स्थापना से ताल्पर है जैसे भू-भाग  
 जो राज्य के रूप में स्थापित नहीं हैं लेकिन  
 भविष्य में स्थापित हो सकते हैं।

(iv) अनुच्छेद-2 के अन्तर्गत, नए राज्य को भारत संघ में शामिल करने हेतु किसी अन्य भारतीय राज्य से सहमति लेनी ही आवश्यकता नहीं है।

(v) अनुच्छेद-3: भारत संघ में पूर्व में शामिल राज्यों में से नए राज्य का निर्माण, सीमा/क्षेत्रफल बदलना, नाम परिवर्तन इत्यादि से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद-3 में वर्णित हैं। इससे राष्ट्रपति की शक्ति संसद से प्रदान की गई है।

(vi) इसमें (अनुच्छेद-3) में वर्णित किसी भी परिवर्तन से संबंधित विधेयक से संसद में पेशा करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या सिफारिश आवश्यक होती है।

(vii) राज्य की विधेयक से प्रस्तावित राज्य की सहमति हेतु, राष्ट्रपति को, निर्दिष्ट समय सीमा के साथ, राजा जाता है।

(viii) हालाँकि, संबंधित राज्य के विधानमंडल का विचार मानने हेतु संसद बाध्य नहीं है। साथ ही, इस अनुच्छेद के अन्तर्गत दिया गया संशोधन साधारण बहुमत से पास होगा तथा इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा।

- भारत में संघवाद को आसुर देने के माध्यम और जातीय शरकों की अहम भूमिका रही है। प्रारंभिक सेवा माना गया कि माधुर्य तथा जातीय आधार पर राज्यों का निर्माण संघ की सजोर बनाया/संविधान के अन्तर्गत की अस्थापना वाली राज्य पूर्णतः आपेक्षा

कि. पूर्वोक्त ई राज्यों के राज्यों  
 की ज्ञातीय आधार पर गठित किया गया. इनके  
नामालेख, दिनांक इत्यादि शामिल हैं।

भारत के विपरीत संयुक्त राज्य  
अमेरिका का संबंध अधिकांश उदात्त है तथा 19वीं सदी  
के बाद पुनर्गठन दिया गया जिसमें वर्षा वर्षा वर्षा  
वर्षा है। 20वीं सदी के एक बड़े भी पुनर्गठन  
नहीं दिया गया है। अमेरिकी संघ अफिरादी  
राज्यों का अफिरादी संघ है।

भाषाई <sup>न्या जलिय</sup> आधार पर राज्यों के गठन से भारत  
संघ पर कुछ फरकालु साज ही कुछ फरकालु  
प्रभाव पड़ा है।

इसके साथसाथ एक निम्नलिखित है।

संकल्पित प्रभाव

- प्रशासनिक सुलभता
- जागरण के माध्यम से जनता का विश्वास
- शिक्षा और मानव संसाधन का विकास
- राजनीति की गहराई का विश्वास

(i) प्रज्ञासाधनस्य सुलभता :- प्रज्ञासाधनस्य स्वरूपं च विद्याभ्यास

हेटु राज्य से बंदी भाषा का चुनाव उतना होगा  
जो अधिस्तर लोगो से समझ के आए। बंदी



दिपति में यह भाषा वाले राज्य होने से प्रशासनिक कार्य संपादन सुलभ होता है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी, तेलंगाना में तेलुगु भाषा आम बोलचाल की भाषा है।

(ii) भाषाई तथा जातीय एकता का विकास:- भाषाई तथा जातीय एकता से आख्यार पर राज्यों से जहन से संबंधित राज्य से लोगों में एक होने का भाव बढ़ता है।

(iii) विहारा और सांस्कृतिक संरूपता:- इससे सांस्कृतिक कार्य तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान में सुलभता होती है।

इससे विपरीत भाषाई तथा जातीय आख्यार पर राज्यों से वर्गीकरण/पुनर्गठन से नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है जो निम्नलिखित हैं-

महाराष्ट्र ५३१७ → भाषाई तथा जातीय आख्यार पर और राज्यों की मांग  
→ क्षेत्रीयता की भावना का विकास  
→ जातीय हंग

① और राज्यों की मांग:- भाषा से आख्यार पर और अधिक राज्यों की मांग से जा रही है। जैसे मिथिला राज्य की मांग।

जातीयता से आख्यार पर भी उन राज्यों की मांग बढ़ गई है जैसे, कुर्गिल, गोवा वगैरह की मांग।

(ii) होरोपिता की भावना का विकास :- जैसा कि पहले बली  
आपका द्वारा रहा गया था कि यह भाषा कौनसे काल  
साथ ही यह जालीयता है लोग किसी यह क्षेत्र है  
बढ़ते नहीं रहते हैं। इसलिए अन्य क्षेत्रों में भी इस  
आधार पर बच्चों की मांग की जा सकती है।

(iii) जालीय दर्जा :- जालीय आधार पर बच्चों के निर्माण को  
अपने क्षेत्र में रहने वाले अन्य जालीय है लोगों के  
तनाव से स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो दर्जा का  
रूप ले सकता है। माणिक्य इलका जलम उदाहरण है

Lecture से content को  
entirely नहीं

निष्कर्षः हम यह कहते हैं कि,

भाषाई और जालीय आधार पर बच्चों के गठन में  
वाणजीय दृष्टा को प्रमुख दुर्ग है साथ ही आर्थिक  
रूप से होरोपिता की भी बढ़ावा मिला है। अतः  
यह नागरिक के रूप में हमारे देश, यज्ञा की  
भावना का प्रसार तथा होरोपिता की भावना को  
होरोपिता करने की आवश्यकता है।

आपने और अमेरिका  
भारत को उलगा वाला पॉट  
miss कर दिया है।

16/38